संख्या-68/2018/1642जेएल/22-3-18-200(2)/2018

प्रेषक,

हरि नारायण गिरि,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधीक्षक,
आदर्श कारागार, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 13 अगस्त, 2018***

विषय- नारी बंदी निकेतन, लखनऊ में निरूद्ध महिला बंदियों को गृह अवकाश की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-46/2018/1321जेएल/22-3-18-200(2)/2018, दिनांक 29-06-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त शासनादेश के क्रम में महिला बंदी नेहा भाटिया उर्फ बॉबी बालिया पत्नी स्व0 अनूप भाटिया, निवासी-ए-585,इन्दिरा नगर, थाना-गाजीपुर, जनपद-लखनऊ व हाल पता-गिरगांव, थाना-मढ़ा वालों का मोहल्ला, जिला-ग्वालियर, मध्य प्रदेश (महिला बंदी संख्या-1393) द्वारा किये गये अनुरोध पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उक्त महिला बंदी को पूर्व स्वीकृत 15 दिन के गृह अवकाश में अग्रेतर 15 दिन की वृद्धि एतदद्वारा स्वीकृत की जाती है।

भवदीय,

हरि नारायण गिरि
अनु सचिव।

संख्या-68/2018/1642जेएल(1)/22-3-18-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखत को सूचनार्थ हेतु प्रेषित-

1- निजी सचिव, मा0 कारागार राज्य मंत्री, उ0प्र0।
2- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

हरि नारायण गिरि
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।